408544 - दैनिक लाभ प्राप्त करने के लिए शुल्क के साथ अंतरराष्ट्रीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए एक ऐप की सदस्यता लेने का हुक्म

प्रश्न

मैं इंटरनेट पर ऑर्डरगो (OrderGO) नामक एक ऐप पर काम कर रहा हूँ, जो एक ऐसी कंपनी से संबंधित है जो अंतरराष्ट्रीय साइटों जैसे (अमेज़ॅन-विश, और अन्य...) के उत्पादों का विपणन (मार्केटिंग) करती है। ये दरअसल (जूते – कपड़े – इलेक्ट्रॉनिक्स – और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं) की बिक्री के लिए अंतरराष्ट्रीय वेबसाइटें हैं। ऐप पर काम करने की पद्धति दो क्लिक के माध्यम से मार्केटिंग करना है : पहले क्लिक के साथ उपर्युक्त वेबसाइटों से कोई उत्पाद खरीदना है, फिर दूसरे क्लिक के साथ उसे बेचना और एक छोटा-सा कमीशन अर्जित करना है। इस प्रकार, उत्पाद पर खरीद दर्ज करके, मैंने वेबसाइट पर उत्पाद का मूल्य बढ़ा दिया, उसकी क़ीमत नहीं। इसकी अवधारणा यह है कि आप ऐप में एक राशि जमा करें ताकि आप खरीद और बिक्री कर सकें। जितनी बड़ी राशि होगी, मुझे उतनी ही अधिक कीमत वाला उत्पाद मिलेगा और मैं उससे अधिक लाभ कमा सकता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर मैं पचास डॉलर ($50) जमा करता हूँ, तो मैं हर दिन लगभग डेढ़ से दो डॉलर का लाभ कमा सकता हूँ। अगर मैं तीन सौ डॉलर ($300) जमा करता हूँ, तो मुझे प्रति दिन लगभग दस डॉलर मिल सकते हैं।

लेकिन जमा और लाभ डिजिटल मुद्रा (डिजिटल करेंसी) में होता है, जिसकी कीमत डॉलर (USDT) की कीमत के बराबर होती है। फिर जब मैं प्रोग्राम से पैसे निकालना चाहूँ, तो मैं इसे डिजिटल मुद्राओं का व्यापार करने वाले लोगों को बेचकर उसे डॉलर में एक्सचेंज कर सकता हूँ। तथा मैं जब भी चाहूँ पैसा और मुनाफा निकाल सकता हूँ। क्या इस प्रोग्राम में काम करने का तरीक़ा हलाल है या हराम?

विस्तृत उत्तर

उपर्युक्त ऐप की सदस्यता लेना, या उसकी प्रोग्रामिंग में काम करना या किसी भी तरह से उसमें मदद करना जायज़ नहीं है ; क्योंकि यह निषिद्ध जुए पर आधारित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्राहक इस उम्मीद में पैसे का भुगतान करता है कि वह बिक्री उत्पादों पर क्लिक करके उससे अधिक प्राप्त करेगा। और यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जुआ का अर्थ यही है कि : हानि निश्चित होती है और लाभ संभावित होता है।

अल-बुजैरिमी रहिमहुल्लाह ने कहा : “जुआ : वह है जिसका करना संभावित होता है कि उससे लाभ होगा या हानि होगी।” “हाशियतुल-बुजैरिमी अला शई अल-मन्हज” (4/376) से उद्धरण समाप्त हुआ।

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने कहा :

“यह जुआ – जो कि हर वह लेन-देन है जो हानि और लाभ के दरमियान घूमता है – इसमें शामिल व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे लाभ होगा या वह घाटा उठाएगा, यह सब के सब हराम है, बल्कि वह बड़े पापों में से है। और इसकी कुरूपता किसी व्यक्ति से छिपी नहीं है यदि वह देखे कि अल्लाह ने उसे मूर्तियों की पूजा, शराब और पाँसे के तीरों के साथ उल्लेख किया है।” “फतावा इस्लामिय्यह” (4/441) से उद्धरण समाप्त हुआ।

इसके अलावा : ये काल्पनिक बिक्रियाँ चीज़ों के मूल्य को बढ़ाने के लिए होती हैं, जिसमें खरीदारों के साथ छल और धोखाधड़ी होती हैं, और धोखाधड़ी निषिद्ध है, बल्कि बड़े पापों में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “जिसने हमें धोखा दिया, वह हम में से नहीं है।” इसे मुस्लिम (हदीस संख्या : 101) ने रिवायत किया है।

तथा प्रश्न संख्या : (406946) का उत्तर भी देखें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।